न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–63 / 19

1. सरपंच ग्रा0पं0 17 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर, हाल 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. हनुमानराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. भानीराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. पेमा पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. गिरधारी पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. सम्पतकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. कुम्भाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. मंगलूराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

11. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम

आदेश दिनांक :– 03.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत के चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गांव बाण्डका तक जाता है जो कि उक्त रास्ता रियासतकाल से चल रहा है तथा चकबंदी के समय से ही सीएडी ने उक्त रास्ता के खाळो पर पूल वगैरह बनाकर चालू कर रखा है। उक्त रास्ता पूर्व ग्राम पंचायत दन्तौर के रिकार्ड में कटान है तथा मनरेगा योजना में ग्रेवल सड़क भी तैयार की गई थी। परन्तु उक्त रास्ता सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रह गया है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है जो ग्राम पंचायत का कई गांवों से सम्बंध विच्छेद हो जाएगा। ग्राम सभा ने भी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का प्रस्ताव पारित किया है और रास्ता रियासतकाल से चलने के सुखाधिकार का दावा कर रास्ता रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया तथा पटवारी हल्का दन्तौर से रिकार्ड व मौका की जांच रिपोर्ट व नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करवाए गए। अप्रार्थीगण कुम्भाराम, गिरधारी, सम्पत कंवर वगैरह ने उक्त रास्ता निःशुल्क अंकन बाबत् आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 14.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्ताव ग्रामपंचायत व तहसीलदार रिपोर्ट नजरी–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत दन्तौर से स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चलायमान भी है और चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल

सड़क निर्माण में लगा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायाहित में उचित है। चूंकि वर्तमान में धारा 251ए आटीए अस्तित्व में आ गया है लेकिन सार्वजनिक उपक्रम में आने वाले रास्तो या जनहितार्थ जहां रास्ता कटान करना है। वहां राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) प्रभावी है और उक्त प्रकरण जनहितार्थ है इसलिए इसे राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) से निस्तारित किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला तदानुसार रिकार्ड में अंकन कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: